मध्य प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र नियम,1981

क्रमाांक एक- 14- (ए) - 9 - 81 -बी- (1) -दो-- मध्य प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अध्यादेश, ' 1981 (क्रमाांक 5 सन् 1981) की धारा 22 की उपधारा (1) व्दारा प्रदत्त शक्ततयों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदव्दारा ननम्नलललखित ननयम बनाती है, अर्ाात :-

नियम

1.मध्य प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र ननयम 1981 कहलायेंगे

2.इन ननयमों में

(क) “अध्यादेश " से अलभप्रेत है मध्य प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अध्यादेश, 1981 (क्रमाांक 5 सन् 1981);

(ि) " प्ररूप” से अलभप्रेत है इन ननयमो में सांलग्न प्ररूप ।

3.अध्यादेश की धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा प्र रूप एक में होगी ।

4.अध्यादेश की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन अभ्यािेदन प्ररूप दो में ककया जाएगा ।

प्ररूप-एक

[नियम 3 देखिये]

च ाांकक मेरे...................................... क्जला मक्जस्ट्रेट, क्जला... ....
.............................पास यह समझने का कारण है कक आप श्री...
.... के पास इसके नीचे दो गई अनुस ची में िखणात सम्पवत्त है; और च ाांकक इनके नीचे िखणात कारणों से (कारण दीक्जये)...
.... में यह समझता छ ूँ कक उतत सम्पवत्त विननर्दाष्ट अपराध या अपराधों को करके प्राप्त की गई है ।

अतएि, मध्य प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अध्यादेश 1981 की धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्ततयों को प्रयोग में लाते हुए, में एतदव्दारा, यह घोवषत करता ह ूँ कक आपके कब्जे में की उतत सम्पवत्त विननर्दाष्ट अपराध या अपराधों के ककये जाने में अक्जात की गई है और तद नुसार उसकी कुकी का आदेश देता ह ूँ, और

उतत धारा की उपधारा (3) व्दारा प्रदत्त शक्ततयों को प्रयोग में लाते हुए में, एतददिारा श्री......
.... को, उतत सम्पवत्त का उसकी कुकी की कालािधध के दौरान प्रशासन करने ललए ननयुतत करता ह ूँ ।

अिुसूची

[सम्पवि का विािरण]

सम्पवत्त स्ट्र्ान जहाां क्स्ट्र्त है (1)
(2)

क्जला मक्जस्ट्रेट तारीि

क्जला...................

प्ररूप-दो

[ननयम 4 देखिये]

न्यायालय क्जला मक्जस्ट्रेट क्जला.. मध्य प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अध्यादेश, 1981 की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन अभ्यािेदन । महोदय,
मेरी जानकारी में यह आया है कक मेरी सम्पवत्त,
अर्ाात्...
....

विषय-स ची]
(1)
(2)
(3)

मध्य प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अध्यादेश, 1981 की धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन कुका कर ली गई, है देखिये आपका कुकी आदेश क्रमांक..................................... तारीि....................................

उपरोतत आदेश से व्यधर्त होने के कारण में एतद दारा, ननम्नानुसार अभ्योिदन करता ह ूँ :- (1) यहाूँ आय, उपजीविकाओं यार आक्स्ट्तयों के स्ट्रोत दीजीए क्जनसे या उसके माध्यम से उतत सम्पवत्त अक्जात की गई र्ी ।

(2) यहाूँ यह साक्ष्य दीजीए क्जस पर विश्िास ककया गया है ।

(3) यहाूँ दािे से सुसांगत अन्य जानकारी तर्ा विलशक्ष्टयां दीजीए ।

च ांकक मैंने मेरे कब्जे में की सम्पवत्त के ललए समाधानकारक रूप से लेिा-जोिा दे र्दया है अत: मैं आपसे ननिेदन करता ह ूँ कक राज्यपाल के प्राधधकार से एतददिारा प्रकालशत ककया जाता है ।

तारीि...

आिेदक [मध्य प्रदेश राजपत्र भाग 4 (ग) र्दनांक 22 मई, 1981 को पृष्ठ 119 पर प्रकालशत ।